

विचार

**कर्नाटक में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ वाली गलती दोहरा रही है**

कर्नाटक में कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज की थी। यह जीत केवल भाजपा को सत्ता से हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश भी दिया था कि यदि पार्टी एकजुट और ठोस नेतृत्व के साथ मैदान में उतरे तो वह भाजपा को घेर सकती है। लेकिन अब, कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और लगातार सार्वजनिक रूप से सामने आने वाले मतभेदों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस यहां पर वही गलती दोहरा रही है जो उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में की थी? हम आपको याद दिला दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का विवाद कांग्रेस के लिए दीर्घकालिक सिरदर्द बना रहा था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता-साझेदारी को लेकर विवाद लगातार सामने आता रहा था। ऐसा ही वाक्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच देखने को मिला था। ज्योतिरादित्य भाजपा में चले गये थे जिससे कमलनाथ की सरकार बीच में ही गिर गयी थी। तीनों ही राज्यों में मतभेद पार्टी मंच के बजाय मीडिया में उछलते रहे, जिससे भाजपा को सत्ता में आने का मौका मिल गया। इसी तरह कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है कि आलाकमान द्वारा समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाने के कारण टकराव बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जोरदार जीत के बाद से ही यह स्पष्ट था कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। सप्तद्वौते के तहत सिद्धारमैया को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शिवकुमार खेमा इसे अंदर ही अंदर चुनौती दे रहा है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो चाहे प्रशासनिक निर्णयों की बात हो या फिर रणनीतिक घोषणाओं की बात हो, सभी मामलों में दोनों नेताओं के बीच मतभेद लगातार उजागर होते रहते हैं। इसके अलावा, कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी खुलेआम एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं। डीके शिवकुमार के समर्थक अक्सर उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहकर प्रचारित करते हैं जो सिद्धारमैया समर्थकों को असहज करता है और इसके चलते दोनों ओर से बयानबाजी शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि देश में सिर्फ तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और देखने में आ रहा है कि तीनों जगह पार्टी में कलह है। कर्नाटक के साथ ही हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं लेकिन कर्नाटक की कलह कुछ ज्यादा ही उजागर हो रही है। यही नहीं, कर्नाटक के विवाद को कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे द्वारा हाईकमान पर टालना दर्शाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और सब कुछ ऊपर से ही मैनेज हो रहा है, तभी इस प्रकार का टकराव बना हुआ है। देखा जाये तो कांग्रेस इस समय देश में मुख्य विपक्षी पार्टी है इसलिए सवाल उठता है कि जब वह अपना घर ही नहीं संभाल पा रही तो देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पायेगी? कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों को भी एकजुट रख पाने में विफल रही है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि केरल और हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सरकार में आना तय माना जा रहा था लेकिन अपने ही नेताओं के आपसी झगड़ों की बदौलत पार्टी सत्ता से बहुत दूर रह गयी थी। इससे साबित होता है कि कांग्रेस को हमेशा अपनों ने ही लिटा है लेकिन फिर भी पार्टी गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं है। उधर, कर्नाटक में कांग्रेस के दोनों धुरंधर नेताओं के समीकरणों पर गौर करें तो आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़े कुरबा समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बड़े जनाधार वाले नेता हैं। वह सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं और उन्हें पता है कि चुनावों में भाजपा के जातिगत समीकरणों को कैसे बिगाड़ा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आर्थिक-सामाजिक रूप से संपन्न वोक्सलिंगा समुदाय से आते हैं। वह पुराने कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के विश्वस्त हैं और धनबल, बाहुबल के खिलाड़ी हैं। कई विधायक भी उनके साथ हैं लेकिन हाईकमान हर बार सिद्धारमैया के सिर पर हाथ रख देता है इसलिए उन्होंने हाल ही में कहा भी है कि मेरे पास समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

अपराधियों से निपट

ह एक अब मुख्या, सरपंच, बाड़ सदस्य जैसे जनप्रतिनाधि आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रख सकेंगे। जिससे लगभग द्वाई लाख जनप्रतिनिधियों को फायदा मिलेगा। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवेदनों की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश जारी किया है। बिहार में आगामी चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतिश सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है।


बिहार सरकार ने यह फैसला राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया है। इसके विपरीत सच्चाई यही है कि ऐसा करके नीतिश सरकार ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को साधने की कोशिश की है। यदि नीतिश कुमार के इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के हित में भी माना जाए तब यह प्रदेश में अपराध की हालत को दर्शाता है। जिस प्रदेश में जनप्रतिनिधी ही सुरक्षित नहीं हैं, वहां आम अवाम की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल यह भी है कि लाखों की संख्या में हथियारों के लाइसेंस देने से क्या राज्य में हिंसा में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। बिहार में यदि पुलिस तंत्र प्रभावी और मजबूत होता तो यह नौबत नहीं आती कि लाखों जनप्रतिनिधियों की हथियारों के लिए लाइसेंस दिया जाए। इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतिश ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के बजाए हथियारों के लाइसेंस देने का आसान विकल्प चुना है। बड़ा सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधी अपनी सुरक्षा हथियारों से कर लेंगे, किन्तु प्रदेश की अवाम का क्या होगा।

अनुसार, बिहार 2017 से 2022 के बीच हिंसक अपराधों के मामले में लगातार शीर्ष पांच राज्यों में शुमार रहा है। इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि प्रति वर्ष पटना में 82 हिंसा के मामले औसतन रूप से सामने आए हैं और राज्य की राजधानी हिंसा की राजधानी बन चुकी है। पटना के बाद क्रमशः मोतिहारी में 49.53, सारण 44.08), गया 43.50, मुजफ्फरपुर 39.93 और वैशाली में 37.90 मामले प्रति वर्ष औसतन दर्ज किए जा रहे हैं। हिंसक अपराधों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 10 जिलों में पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा और बेगूसराय शामिल हैं। ये उन शीर्ष 10 जिलों में से भी हैं जिनमें सबसे अधिक आर्स्स एक्ट के मामले हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अवैध आग्नेयास्त्र और हिंसक

दलाई लामा के चयन पर चीन का साजिशपूर्ण हस्तक्षेप

तिब्बत के आध्यात्मिक नेता एवं वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ज्यात्सो की उपराधिकार प्रक्रिया न केवल बौद्ध धर्म और तिब्बत की संस्कृति से जुड़ा विषय है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार और भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में भी

अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। चीन द्वारा इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि यह वैश्विक जनमत की भी अवहेलना है। इन स्थितियों में आराधिकार के मसले पर भारत की भूमिका एक निर्णायक मार्गदर्शक के रूप में उभरती है और इसे दृष्टि में रखते हुए भारत ने दलाई लामा का पक्ष लिया है। ऐसा करने में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हैं। भारत शुरू से तिबतियों के अधिकार, उनके हितों और उनकी परंपराओं व मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान चीन के लिए यह संदेश भी है कि इस संवेदनशील मसले पर उसकी मनमानी नहीं चलेगी।



चीन, दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, यह दावा करते हुए कि यह धार्मिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, दलाई लामा और तिब्बती समुदाय का कहना है कि यह अधिकार केवल उनके पास है और चीन का हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। चीन, 'स्वर्ण कलश' प्रणाली का उपयोग करके अपने परसंदीदा उम्मीदवार को स्थापित करना चाहता है। चीन का कहना है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार उसे 'स्वर्ण कलश' प्रणाली के माध्यम से है, जो 1793 में किंग राजवंश के समय से चली आ रही है। इस प्रणाली में, संभवित उत्तराधिकारियों के नाम एक कलश में डाले जाते हैं और फिर एक नाम निकाला जाता है।

पथप्रदर्शक के रूप में वैश्विक स्तर पर उनके विचारों को मंभी प्रदान किया। वर्तमान दलाई लामा ने इस पद के लिए अगले शख्स को चुनने की सारी जिम्मेदारी गाड़ेन फोडरंग द्वारा को दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी और वह हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनका इशारा चीन व और था। रिजिजू ने भी इस बात का समर्थन किया है। वहाँ चीन ने इस मसले में साजिशपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उत्तराधिकारी का चयन चीनी मान्यताओं के अनुसार औंपेइंचिंग की मंजूरी से होना चाहिए। चीन दलाई लामा व उत्तराधिकार प्रक्रिया पर नियंत्रण चाहता है ताकि तिब्बत जनता को अपने ही धार्मिक नेता से अलग किया जा सके। 2007 में चीनी सरकार ने एक 'धार्मिक मामलों पर नियंत्रण

दलाई लामा केवल तिब्बत के धर्मिक नेता नहीं हैं, वे तिब्बती अस्मिता, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान के प्रतीक हैं। वर्तमान 14वें दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो, 1959 में चीन की दमनकारी नीतियों के कारण तिब्बत छोड़कर भारत आए और धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना हुई। भारत कानून' लागू किया जिसके अंतर्गत दलाई लामा जैसे धर्मिक नेताओं की नियुक्ति भी राज्य की अनुमति से ही संभव बत गई। यह न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि यह तिब्बती जनता की आस्था और पहचान का गला छोटा जैसा है।

1959 में जब दलाई लामा को कम्युनिस्ट सरकार के दम

के चलते भारत में शरण लेनी पड़ी थी, तब से हालात बिल्कुल बदल गए हैं— चीन बेहद ताकतवर हो चुका है और तिब्बत कमज़ोर। इसके बाद भी अगर तिब्बत का मसला जिंदा है, तो वजह है दलाई लामा। चीन इसे समझता है और इसी वजह से इस पद पर अपने प्रभाव वाले किसी शास्त्र को बैठाना चाहता है। चीन की योजना यह है कि जब वर्तमान दलाई लामा का देहांत हो, तो वह अपनी पसंद का एक 'दलाई लामा' घोषित करे, जिसे वैश्विक समुदाय भले ही स्वीकार न करे, लेकिन चीन उसकी पहचान को जबरन वैधता प्रदान करे। यह एक राजनीतिक कठपुतली खड़ी करने जैसा है, जिससे तिब्बत पर उसका शासन वैचारिक रूप से मजबूत हो सके। लेकिन भारत, जो दलाई लामा और तिब्बती निवार्सित समुदाय का स्वागत करता रहा है, अब उस नाजुक मोड़ पर है जहाँ केवल नैतिक समर्थन पर्याप्त नहीं होगा। चीन की विस्तारवादी नीति और आक्रामक कूटनीति को देखते हुए भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति समृद्ध रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

चीन ने तिब्बत की पहचान को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है। दलाई लामा के पद पर दावा ऐसी ही एक और कोशिश है। उसकी वजह से यह मामला धर्म से आगे बढ़कर वैश्विक राजनीति का रूप ले चुका है, जिसका असर भारत और उन तमाम जगहों पर पड़ेगा, जहां तिब्बत के लोगों ने शरण ली है। भारत पर तो चीन लंबे समय से दबाव डालता रहा है कि वह दलाई लामा को उसे सौंप दे। चीन और तिब्बत की लाड़ी भारतीय भूमि पर दशकों से चल रही है और नई दिल्ली-पैंचिंग के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बनती रही है। दलाई लामा की घोषणा के अनुसार, उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बाहर का भी हो सकता है— अनुपान है कि भारत में मौजूद अनुयायियों में से कोई एक, तो यह तनाव और बढ़ सकता है। लैकिन, इसमें भारत के लिए मौका भी है। वह चीन पर कूटनीतिक दबाव डाल सकता है, जो पहलगाम जैसी घटना में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और बॉर्डर से लेकर व्यापार तक, हर जगह राह में रोड़े अटकाने में लगा है।

धर्मशाला, जहां वर्तमान दलाई लामा रहत है, अब विश्व स्तर पर तिब्बती संस्कृति एवं बौद्ध परंपराओं का केंद्र बन गया है। भारत को इस केंद्र को आधिकारिक मान्यता देनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर इस धार्मिक स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाना चाहिए। अब जबकि दलाई लामा स्वयं कह चुके हैं कि उनके उत्तराधिकारी का चयन भारत में हो सकता है तो भारत सरकार को इस पर एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि वह चीन द्वारा घोषित किसी भी 'नकली' दलाई लामा या अनुचित हस्तक्षेप को मान्यता नहीं देगा। भारत को अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ समन्वय स्थापित करके इस विषय पर वैश्विक समर्थन, कूटनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय समन्वय तैयार करना चाहिए। अमेरिका भी पहले ही कह चुका है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी केवल तिब्बती परंपराओं के अनुसार चुना जाएगा। अमेरिका में तिब्बती बौद्धों की धार्मिक स्वायत्ता को लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही मुखर रही हैं। इतना ही नहीं अमेरिकी सरकार अगले दलाई लामा के चयन में चीन के दखल को भी अमान्य करार देती आई है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओत्से तुंग की कमान में चीनी सेना लंबे समय तक तिब्बत पर कब्जे की कोशिश में जुटी रही। इसके खिलाफ जब दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती बौद्धों ने आवाज उठाई तो चीनी सेना ने इसे बर्बरता से कुचल दिया। इसके बाद 1959 में चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद दलाई लामा तिब्बतियों के एक बड़े समूह के साथ भारत आ गए और यहां से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे। तिब्बत में इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तब से दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को अपना घर बना लिया, जिससे बीजिंग नाराज हो गया और वहां उनकी उपस्थिति चीन और भारत के बीच विवाद का विषय बनी रही। भारत में बसे तिब्बती शारणार्थियों को शिक्षा, रोज़गार और यात्रा से संबंधित नागरिक अधिकार देने की दिशा में ठोस कदम उठाकर भारत उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर सकता है। भारत में इस वक्त करीब 1 लाख से ज्यादा तिब्बती बौद्ध रहते हैं, जिन्हें पूरे देश में पढ़ाई और काम की स्वतंत्रता है। दलाई लामा को भारत में भी काफी सम्मान दिया जाता है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी का प्रश्न केवल एक व्यक्ति के चयन का विषय नहीं, बल्कि यह बौद्ध संस्कृति, तिब्बती आत्मनिर्णय और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का सवाल है। चीन की तानाशाही मानसिकता इसे नियंत्रित करना चाहती है, जबकि भारत को इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है।

